



बैठक की कार्यवृत्ति


आज दिनांक 09/10/17 को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना उपसमिति की बैठक आहुति की गयी इसमे कमेटी के समस्त सदस्य उपस्थित थे। परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत असफल नसबन्दी होने पर रु0 30,000.00 क्षतिपूर्ति धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। सामु0स्वा0केन्द्र बी0के0टी0 लखनऊ व वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ से 02 क्लेम फार्म प्राप्त हुआ। जिसे कमेटी के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, क्लेम फार्म सही पाये गये जिसमें कमेटी के सदस्यों ने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये।




(डा0 अजय राजा)
सदस्य सचिव,
जनपद परिवार नियोजन
इन्डेमिनिटी उपसमिति




(डा0 रश्मि वर्मा)
इम्पैनल्ड स्त्री रोग विशेषज्ञ, मुख्य
चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित
/सदस्य, जनपद स्तरीय परिवार नियोजन
इन्डेमिनिटी उपसमिति।



(डा0 राजेश श्रीवास्तव)
इम्पैनल्ड सर्जन, मुख्य चिकित्सा स्तरीय
अधिकारी द्वारा नामित / सदस्य,
जनपद स्तरीय परिवार नियोजन
इन्डेमिनिटी उपसमिति।



(डा0 जी.एस. बाजपेई) 09/10/17
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कनवेनर, जनपद स्तरीय परिवार नियोजन
इन्डेमिनिटी उपसमिति।



जिला अधिकारी, अध्यक्ष
जनपद स्तरीय परिवार नियोजन
इन्डेमिनिटी उपसमिति।